



तत् त्वं पूषन् अपावृणु
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए दिशा-निर्देश

(शिक्षा-सत्र **2021-22** से)

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
नईदिल्ली

विषय-सूची

भाग-क सामान्य दिशा-निर्देश

भाग- ख विशेष प्रावधान

भाग-ग प्रवेश प्रक्रिया

केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए दिशा-निर्देश

भाग-क

सामान्य दिशा-निर्देश

1. केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए पूर्व में जो दिशा-निर्देश जारी किए गए थे उनका अधिक्रमण करते हुए शिक्षा सत्र 2021-22 एवं उसके आगे से विद्यालयों में प्रवेश नियमितीकरण हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं। ये दिशा-निर्देश विदेश स्थित केंद्रीय विद्यालय एवं डॉ. राजेंद्र प्रसाद केन्द्रीय विद्यालय, प्रेसिडेंट इस्टेट, नई दिल्ली-110004 पर लागू नहीं होंगे।

2. परिभाषाएँ :-

जब तक संदर्भ से दूसरी बात अपेक्षित न हो, इन दिशा-निर्देशों में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दावलियों की परिभाषा इस प्रकार से होगी :-

- (i) **केंद्रीय सरकार के कर्मचारी** :- कर्मचारी, जो नियमित है (अर्थात् जिस पद पर कर्मचारी कार्यरत है उस पद की संस्वीकृति मूल पद की हैसियत से भारत सरकार द्वारा की गई हो) और भारत की समेकित निधि से अपनी परिलब्धियाँ प्राप्त करता हो।
- (ii) **स्थानान्तरणीय कर्मचारी** :- कर्मचारी, जो पूर्वगामी 7 वर्षों में कम से कम एक बार स्थानान्तरित हो चुका है, उसे स्थानान्तरणीय माना जाएगा।
- (iii) **स्थानान्तरण** :- कर्मचारी को स्थानान्तरित तब माना जाएगा यदि सक्षम अधिकारी द्वारा उसे किसी स्थान/शहरी संकुल से दूसरे स्थान / शहरी संकुल में स्थानान्तरित कर दिया गया है और जो स्थान कम से कम 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तथा एक स्थान पर ठहराव की अवधि कम से कम 6 महीने होनी चाहिए।
- (iv) **स्वायत्त निकाय / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम** :- भारत सरकार द्वारा पूर्णरूपेण वित्तपोषित अथवा सरकार के 51 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी वाले स्वायत्त निकाय / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस वर्ग में माना जाएगा।
- (v) **इकलौती कन्या संतान** :- माता-पिता की वह संतान जो इकलौती कन्या हो एवं उसका कोई सहोदर भाई या बहन न हो।

3. प्रवेश में प्राथमिकताएँ :-

प्रवेश प्रदान करते समय निम्नलिखित प्राथमिकताओं का अनुपालन किया जाएगा :

(क) सिविल / रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय विद्यालय :

1. पूर्व-सैनिकों के बच्चों सहित केंद्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय व अस्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चे। इनमें ऐसे विदेशी बच्चों के कर्मचारियों के बच्चे भी सम्मिलित हैं जो भारत सरकार के आमंत्रण पर भारत में प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण पर आते हैं।
2. भारत सरकार के स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / उच्च शिक्षण संस्थानों के स्थानान्तरणीय व अस्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चे।
3. राज्य सरकार के स्थानान्तरणीय व अस्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चे।

4. राज्य सरकार के स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उच्च शिक्षण संस्थानों के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे ।
5. किसी अन्य श्रेणी के बच्चे जिसमें विदेशी नागरिकों के बच्चे भी सम्मिलित हैं जो अपने कार्य के कारण या किसी अन्य निजी कार्य से भारत में रहते हैं । विदेशी नागरिकों के बच्चों पर तभी विचार किया जाएगा जब प्रतीक्षारत सूची में किसी भी भारतीय नागरिक का पुत्र / पुत्री न हो ।

टिप्पणी :- प्रवेश में बच्चों को प्राथमिकता अभिभावकों के पिछले 7 वर्षों में स्थानांतरणों की संख्या के आधार पर दी जाएगी ।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / उच्चशिक्षणसंस्थानों के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय विद्यालय :-

1. विद्यालय को प्रायोजित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / उच्च शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों के बच्चे, उनके पौत्र / पौत्रियाँ, प्रोजेक्ट कर्मचारियों और ऐसे स्नातकोत्तर विद्यार्थी जो अनुसंधान परियोजना के लिए दीर्घ अवधि तक कार्य तक कार्य करते हैं, के बच्चे, वार्डन परिषद के नियमित कर्मचारियों (सीओडब्ल्यू) के बच्चे तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बच्चे एवं उनके पौत्र / पौत्रियाँ ।

टिप्पणी :- प्रवेश में प्राथमिकता सेवारत कर्मचारियों के बच्चों, सेवारत कर्मचारियों के पौत्र / पौत्रियाँ, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बच्चों और उनके पौत्र / पौत्रियों को उसी अनुक्रम में दी जाएगी ।

2. केंद्रीय सरकार के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे और पूर्व सैनिकों के बच्चे । इसमें ऐसे विदेशी कर्मचारियों के बच्चे भी सम्मिलित हैं जो भारत सरकार के आमंत्रण पर भारत में प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण पर आते हैं।
3. भारत सरकार के स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उच्च शिक्षण संस्थानों के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे ।
4. राज्य सरकार के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे ।
5. राज्य सरकार के स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उच्च शिक्षण संस्थानों के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे ।
6. किसी अन्य श्रेणी के बच्चे जिसमें विदेशी नागरिकों के बच्चे भी सम्मिलित हैं जो अपने कार्य के कारण या किसी अन्य निजी कार्य से भारत में रहते हैं । विदेशी नागरिकों के बच्चों पर तभी विचार किया जाएगा जब प्रतीक्षारत सूची में किसी भी भारतीय नागरिक का पुत्र/पुत्री न हो ।

टिप्पणी :- बच्चों को प्रवेश में प्राथमिकता अभिभावकों के पिछले 7 वर्षों में स्थानांतरणों की संख्या के आधार पर दी जाएगी।

4. प्रवेश के लिए पात्र आयु :-

जिस शैक्षणिक वर्ष के दौरान कक्षा-1 में प्रवेश मांगा जा रहा है उस वर्ष की 31 मार्च को बच्चे की आयु 5 वर्ष की होनी आवश्यक है (जिस बच्चे की जन्मतिथि 1 अप्रैल हो उसको भी शामिल किया जाएगा)।

(क) केंद्रीय विद्यालयों की विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु इस प्रकार होगी (जिस बच्चे की जन्मतिथि 1 अप्रैल हो उसको भी शामिल किया जाएगा) :

कक्षा	जिस वर्ष के लिए प्रवेश मांगा जा रहा है उसकी 31 मार्च को बच्चे की न्यूनतम आयु	जिस वर्ष के लिए प्रवेश मांगा जा रहा है उसकी 31 मार्च को बच्चे की अधिकतम आयु
I	5 वर्ष	7 वर्ष
II	6 वर्ष	8 वर्ष
III	7 वर्ष	9 वर्ष
IV	8 वर्ष	10 वर्ष
V	9 वर्ष	11 वर्ष
VI	10 वर्ष	12 वर्ष
VII	11 वर्ष	13 वर्ष
VIII	12 वर्ष	14 वर्ष
IX	13 वर्ष	15 वर्ष
X	14 वर्ष	16 वर्ष

टिप्पणी:-दिव्यांग बच्चों के मामलों में प्राचार्य द्वारा ही अधिकतम आयु में भी 2 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(ख) कक्षा-11 में प्रवेश के लिए आयु की कोई सीमा नहीं है बशर्ते कि संबंधित विद्यार्थी कक्षा 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले वर्ष में प्रवेश चाह रहा हो। इसी तरह कक्षा - 12 में प्रवेश हेतु कोई अधिकतम और न्यूनतम आयु सीमा नहीं होगी, बशर्ते विद्यार्थी द्वारा कक्षा 11 उत्तीर्ण करने के बाद उसके नियमित अध्ययन में कोई अंतराल न हो।

5. कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या और सक्षम प्राधिकारी

कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या	प्राधिकारी	दिनांक	टिप्पणी
40 तक	प्राचार्य	31 मई तक	कक्षा में रिक्तियाँ उपलब्ध रहने पर, (कक्षा 11 को छोड़कर) पंजीकृत और पात्र उम्मीदवार ।
		सी.बी.एस.ई. की कक्षा – दसवीं के परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 30 दिनों तक ।	कक्षा में रिक्तियाँ उपलब्ध रहने पर, केवल कक्षा 11 के लिए पंजीकृत और पात्र उम्मीदवार ।
45 तक	प्राचार्य	30 नवंबर तक	यह प्रावधान केवल उन सिविल/रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले श्रेणी-□ से श्रेणी-□□ के अभिभावकों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उच्च शिक्षण संस्थानों के अंतर्गत आने वाले केन्द्रीय विद्यालयों में श्रेणी-□ से श्रेणी-□□ तक के अभिभावकों के लिए है जिनका स्थानांतरण पंजीकरण प्रक्रिया समाप्त होने के उपरांत विगत वर्ष/वर्तमान सत्र में हुआ है । उनके बच्चों को प्रवेश पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा ।
50 तक	प्राचार्य	30 नवंबर तक	यह प्रावधान उन रक्षा कर्मियों (आर्मी/नेवी/एयर फोर्स) के लिए है जिनका स्थानांतरण/सेवानिवृत्ति विगत वर्ष/वर्तमान सत्र में पंजीकरण प्रक्रिया समाप्त होने के उपरांत हुआ हो उनके बच्चों को प्रवेश पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा ।

6. प्रवेश में आरक्षण

(क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग :

सभी केन्द्रीय विद्यालयों में नए प्रवेशों में अनुसूचित जाति के लिए 15% सीटें, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% सीटें और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी-नॉन क्रीमी लेयर) के लिए 27% सीटें आरक्षित होंगी।

(ख) दिव्यांग श्रेणी :

निःशक्तता (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा एवं पूर्ण प्रतिभागिता) अधिनियम 1995 के साथ पठित शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार नए प्रवेश हेतु उपलब्ध कुल सीटों में से 3% सीटें दिव्यांग बच्चों के लिए संस्तर रूप में आरक्षित होंगी।

7. स्थानीय स्थानांतरण सहित के.वि. स्थानांतरण प्रमाण-पत्र संबंधी प्रवेश :-

- (i) माता-पिता का स्थानांतरण एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर होने के आधार पर के.वि. के स्थानांतरण प्रमाण-पत्र वाले बच्चे को प्रवेश(कक्षा में बच्चों की अधिकतम संख्या के ऊपर) स्वतः ही दिया जाएगा। यदि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 55 तक पहुंच जाती है तो अतिरिक्त सेक्शन खोलने के प्रयास किए जाएं।
- (ii) रक्षा कार्मिकों और अर्धसैनिक बलों के कर्मचारी जिनका स्थानांतरण यदि ऐसे स्थान पर होता है जहाँ परिवार नहीं रखा जा सकता या जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो वे अपने बच्चे का प्रवेश केंद्रीय विद्यालय के स्थानांतरण प्रमाण-पत्र के आधार पर ऐसे केंद्रीय विद्यालय में करा सकेंगे जहाँ कहीं वे अपना परिवार रखेंगे।
- (iii) अन्य ऐसे सभी मामलों जिनमें माता-पिता का स्थानांतरण नहीं हुआ है, केंद्रीय विद्यालय के स्थानांतरण प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रवेश केवल क्षेत्रीय कार्यालय के उपायुक्त की पूर्व अनुमति से ही किए जाएंगे।
- (iv) के.वि. स्थानांतरण प्रमाण-पत्र के आधार पर सभी स्थानीय स्थानांतरण मेरिट के आधार पर उपायुक्त के अनुमोदन से किए जाएंगे।
- (v) के.वि. स्थानांतरण प्रमाण-पत्र वाले विद्यार्थीको प्रोजेक्ट केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश केवल 45 विद्यार्थियों की संख्या तक अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंध समिति की पूर्वानुमति से प्रदान किया जा सकता है। इस सीमा के ऊपर प्रोजेक्ट विद्यालय में के.वि. स्थानांतरण प्रमाण-पत्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हालांकि अत्यंत वांछनीय मामलों में प्रोजेक्ट/निकटतम केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश की अनुमति देने का अधिकार संभागीय उपायुक्त को होगा।

8. केंद्रीय विद्यालय में कक्षा-11 में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान/राज्य बोर्डों/आइसीएससी के विद्यार्थी:

11वीं कक्षा में रिक्तियाँ रहने पर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान/ राज्य बोर्ड/ आइसीएससी के विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए विचार किया जा सकता है ।

9. 10वीं तथा 12वीं की कक्षाओं में नए प्रवेश :

केन्द्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों के अलावा अन्य विद्यालयों के विद्यार्थियों को कक्षा 10 एवं 12 में प्रवेश प्रदान करने के मामलों पर रिक्त स्थान होने पर ही विचार किया जाएगा । कक्षा 10 एवं 12 में ऐसे प्रवेश के मामलों पर विचार संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के उपायुक्त द्वारा ही किए जाएंगे बशर्ते कि इन कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या 40 से कम हो।

ऐसे मामलों में प्रवेश के लिए पात्रता की निम्न शर्तें भी लागू होंगी :

- i) बच्चे ने सीबीएसई से संबद्ध विद्यालय से उसी पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो ।
- ii) कक्षा 10वीं में प्रवेश के लिए कक्षा 09वीं की परीक्षा में कम से कम 55% अंक होने चाहिए।
- iii) कक्षा 12वीं में प्रवेश के लिए 11वीं की परीक्षा में कम से कम 55% अंक होने चाहिए।
- iv) विद्यार्थी केंद्रीय विद्यालय संगठन के प्रवेश दिशा-निर्देशों के अनुसार हर प्रकार से पात्र होना चाहिए।
- v) विद्यार्थी द्वारा चयन किए जाने वाले विषयों का संयोजन (Combination) केंद्रीय विद्यालय में उपलब्ध हो ।

10. विदेश में अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रवेश :

अभिभावकों की विदेश में प्रतिनियुक्ति पर केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहा उनका बच्चा यदि उनके साथ विदेश चला जाता है, भारत में उनकी वापसी पर जिस केंद्रीय विद्यालय में अभिभावक अपने बच्चे का प्रवेश लेना चाहता है उस केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य द्वारा उसे अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा (ऐसा प्रवेश कक्षा की निर्धारित संख्या से अधिक / ऊपर दिया जाएगा) ।

11. कक्षा में रिक्त स्थान रहने पर प्रवेश :

यदि 30 जून के बाद किसी विद्यालय में प्रवेश के लिए कोई स्थान रिक्त रह जाता है तो संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के उपायुक्त 31 जुलाई तक प्रवेश संबंधी प्राथमिकताओं के अनुसार निर्धारित कक्षा संख्या तक प्रवेश प्रदान करने हेतु अधिकृत है ।

नोट : प्रवेश दिशा-निर्देशों की व्याख्या से संबंधित यदि कोई मामला उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में आयुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन का निर्णय अंतिम होगा।

भाग-ख

विशेष प्रावधान

- 1 इन प्रवेश दिशा-निर्देशों में दिए गए प्रावधानों में अन्यथा उल्लिखित प्रवेश व्यवस्था को छोड़कर (जैसे मद संख्या XVI) निम्नलिखित श्रेणियों के बच्चों को कक्षा की निर्धारित संख्या से अधिक/ऊपर प्रवेश दिया जाएगा :
 - (i) माननीय सांसदों के बच्चे और उनके आश्रित पौत्र/पौत्रियाँ ।
 - (ii) केंद्रीय विद्यालय संगठन में सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बच्चे और पौत्र/पौत्रियाँ (पुत्र अथवा/और पुत्री के बच्चे)। केंद्रीय विद्यालय संगठन (केंद्रीय विद्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, जेडआईईटी और के.वि.सं.(मुख्यालय) में सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बच्चों और पौत्र/पौत्रियों को कक्षा की निर्धारित संख्या/स्थानांतरण/भर्ती पर ध्यान दिए बिना वर्ष में किसी भी समय प्रवेश हेतु विचार किया जाएगा । तथापि कक्षा-9 में प्रवेश हेतु बच्चे को प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी (जो अधिकारी / कर्मचारी केंद्रीय विद्यालय संगठन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करते हैं उनके बच्चों को भी केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमित कर्मचारियों के समतुल्य माना जाएगा)।
 - (iii) कार्यकाल के दौरान निधन होने वाले केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चे ।
 - (iv) परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, सेना मेडल (आर्मी), नौ सेना मेडल (नौसेना), वायु सेना मेडल (वायु सेना) प्राप्तकर्ताओं के बच्चे ।
 - (v) शौर्य के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक प्राप्त तथा पुलिस पदक प्राप्तकर्ताओं के बच्चे ।
 - (vi) सरकार द्वारा आयोजित एसजीएफआई/सीबीएसई /राष्ट्रीय/ राज्य स्तर के खेलकूद में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले मेधावी बच्चे।
 - (vii) स्काउट और गाइड में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्तकर्ता ।
 - (viii) इकलौती कन्या संतान का प्रवेश कक्षा-1 में प्रत्येक सेक्शन में अधिकतम 2 तथा कक्षा-6 से आगे की कक्षाओं में प्रत्येक कक्षा में दो को प्रवेश दिया जाएगा। इसमें माता-पिता की जुड़वाँ पुत्रियां भी सम्मिलित हैं ।
 - (क) जुड़वाँ पुत्रियोंका प्रवेश होने पर एक ही प्रवेश माना जाएगा।
 - (ख) ड्रॉ की स्थिति आने पर जुड़वाँ पुत्रियों का नाम एक ही पर्ची पर लिखा जाए ।
 - (ग) यदि इकलौती कन्या संतान (जुड़वाँ पुत्रियाँ भी सम्मिलित) के आवेदनों की संख्या निर्धारित सीटों की संख्या (कक्षा-1 में प्रत्येक सेक्शन में अधिकतम 2 तथा कक्षा-6 से आगे की कक्षाओं में प्रत्येक कक्षा में 2) से अधिक हैं तो प्राथमिकता श्रेणियों के अनुक्रम के आधार पर ही प्रवेश दिया जाए । यदि किसी

एक श्रेणी में अधिक आवेदन किए गए हों तो सभी आवेदनों को एक साथ इकट्ठा करके लॉटरी के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन किया जाए ।

- (ix) राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार अथवा राष्ट्रीय बाल भवन द्वारा प्रारंभ किए गए बालश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता बच्चे।
- (x) शिक्षकों के लिए निर्धारित राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता शिक्षकों के बच्चे ।
- (xi) ललित कलाओं में राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर पर विशेष प्रतिभा प्रदर्शित करने वाले बच्चे।
- (xii) केंद्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप प्रतिवर्ष शिक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों के 100 बच्चों को प्रवेश (30 जून तक) दिया जाएगा ।
- (xiii) प्रतिवर्ष विदेश मंत्रालय के कर्मचारियों के 60 बच्चों को भारत भर में स्थित किसी भी केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश और 15 बच्चों को केंद्रीय विद्यालय के छात्रावासों में प्रवेश दिया जाएगा । ऐसे आदेश केंद्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) द्वारा जारी किए जाएंगे । ये प्रवेश निम्नलिखित शर्तों पर विनियमित होंगे –

(क) देश भर में कहीं भी स्थित केंद्रीय विद्यालयों में 60 प्रवेश केवल उन बच्चों के लिए हैं जो विशेष रूप से वर्तमान या पिछले वर्ष में पोस्टिंग के बाद अपने माता-पिता के साथ विदेश से लौटे हैं और इन प्रवेशों के लिए शैक्षिक वर्ष के दौरान 30 नवंबर तक विचार किया जाएगा । ये सभी प्रवेश इस शर्त पर होंगे कि एक विद्यालय में एक वर्ष में पाँच बच्चों से अधिक का प्रवेश न हो और बच्चों को केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश से पहले विदेश में जिस विद्यालय में पढ़ रहे थे उस विद्यालय का स्थानांतरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

(ख) केंद्रीय विद्यालयों के छात्रावासों में प्रवेश हेतु 15 सीटें केवल उन बच्चों के लिए होंगी जिनके अभिभावक विदेश में ऐसे स्टेशन पर तैनात किए गए हों जहाँ शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं । इस संबंध में अपेक्षित सूचना विदेश मंत्रालय द्वारा दी जानी आवश्यक है (30 नवंबर तक)।

- (xiv) अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग(रॉ) के कर्मचारियों के 15 बच्चों को केंद्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) के द्वारा जारी आदेश के अनुरूप प्रवेश दिया जाएगा । इनमें से अधिकतम 5 सीटें दिल्ली में और शेष दिल्ली से बाहर (30 जून तक) दी जाएंगी।
- (xv) यदि उपबंध (XII), (XIII) और (XIV) के अंतर्गत पात्र बच्चों के प्रवेश के लिए पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त ना हो तो इन प्रावधानों के पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा निर्धारित सीमा तक (30 नवंबर तक) अतिरिक्त नामों को मनोनीत किया जा सकता है।

(xvi) (क). प्रायोजक अभिकरण के बच्चों के द्वारा सभी विद्यालयों में (आयुक्त द्वारा विशेष रूप से अधिसूचित विद्यालयों को छोड़कर) कक्षा एक के प्रत्येक सेक्शन में निर्धारित विद्यार्थी संख्या (40) तक 5 सीटें भरी जाएंगी।

(ख). इसी तरह अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा प्रायोजक अभिकरण (Sponsoring Agency) के बच्चों के प्रवेश हेतु अन्य सभी कक्षाओं में कुल मिलाकर 10 सीटों के लिए नाम (प्रत्येक सेक्शन में अधिकतम 2 सीटें) निर्धारित विद्यार्थी संख्या के अतिरिक्त प्रवेश हेतु संस्तुत किए जा सकते हैं। यदि प्रायोजक के कर्मचारियों के बच्चों के प्रवेश हेतु पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त न हुए हों तो अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंधन समिति केंद्र सरकार के स्थानांतरणीय/अस्थानांतरणीय अथवा राज्य सरकार के एवं स्वायत्त निकायों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ उच्च शिक्षण संस्थानों आदि के कर्मचारियों के बच्चों के प्रवेश के लिए संस्तुति कर सकते हैं बशर्ते कि वे केंद्रीय विद्यालय संगठन प्रवेश दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रवेश के लिए पात्र हों ।

(XVII) अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंधन समिति, संबंधित विद्यालय/शिफ्ट में अपने विवेकाधीन कोटे के अंतर्गत अधिकतम दो बच्चों के प्रवेश के लिए संस्तुति कर सकते हैं । कक्षा 10वीं और 12वीं को छोड़कर इन दो प्रवेशों की संस्वीकृति एक ही कक्षा में अथवा अन्य कक्षाओं में अलग-अलग की जा सकती है । ये विद्यार्थी केंद्रीय विद्यालय संगठन प्रवेश दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रवेश के लिए पात्र होने चाहिए (30 जून तक)।

(XVIII)दिल्ली में जहां केंद्रीय विद्यालयों के लिए भूमि डीडीए द्वारा प्रदान की गई है उन केंद्रीय विद्यालयों में डीडीए के नियमित कर्मचारियों के बच्चों के लिए कक्षा-1 में प्रत्येक सेक्शन में 5 सीटें तथा अन्य सभी कक्षाओं में मिलाकर कुल 5 सीटें सीमित होंगी। कक्षा-1 में प्रवेश सेक्शन की निर्धारित विद्यार्थी संख्या के अंदर होंगे जबकि अन्य कक्षाओं में यह सेक्शन की निर्धारित विद्यार्थी संख्या से ऊपर होंगे ।

(XIX)इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक माननीय सांसद एक शिक्षा-सत्र में प्रवेश हेतु दस(10) मामलों की अनुशंसा कर सकते हैं परंतु यह अनुशंसा उन्हीं अभिभावकों के बच्चों के लिए हो जो उनके संसदीय क्षेत्र के निवासी हों या प्रवेश से पहले उस क्षेत्र में तैनात किए गए हों या सेवा की बाध्यताओं के कारण निर्वाचन क्षेत्र में विस्थापित हुए हों । यह संस्तुति माननीय सांसद द्वारा अपने लोकसभा संसदीय क्षेत्र में स्थित केंद्रीय विद्यालयों में ही प्रवेश के लिए होगी । यदि किसी माननीय सांसद (लोकसभा) के निर्वाचन क्षेत्र में कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं है तो वे इन प्रवेशों की सिफारिश किसी भी पड़ोसी /

सन्निहित निर्वाचन क्षेत्र में स्थित केंद्रीय विद्यालय में कर सकते हैं । राज्यसभा सांसद के लिए इस उद्देश्य हेतु वह राज्य उनका संसदीय क्षेत्र माना जाएगा जिससे वह चुने गए हैं । राज्यसभा एवं लोक सभा के मनोनीत सांसद देश में स्थित किसी एक विद्यालय या भिन्न विद्यालयों में दस (10) मामलों की अनुशंसा कर सकते हैं ।

(क) यह प्रवेश कक्षा की निर्धारित संख्या के ऊपर होंगे ।

(ख) यह अनुशंसा केवल कक्षा-1 से कक्षा-9 तक की कक्षाओं के लिए की जा सकती है।

(ग)ये प्रवेश शिक्षा-सत्र के प्रारंभ में ही किए जाएंगे । निर्धारित अंतिम तारीख के बाद कोई प्रवेश नहीं किया जाएगा ।

(घ)यह अनुशंसा माननीय सांसदों को केंद्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) द्वारा उपलब्ध कराए गए निर्धारित प्रपत्र में किए जाने पर ही मान्य होगी । अन्य किसी फॉर्म / प्रारूप में संस्तुति भेजे जाने पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

(ङ)माननीय सांसद द्वारा जिस बच्चे के प्रवेश की संस्तुति की गई है वह केंद्रीय विद्यालय संगठन प्रवेश दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र होना चाहिए ।

(XX) सशस्त्र बलों के प्रत्येक शिक्षा निदेशालय अर्थात सेना, वायुसेना, नौसेना, और कोस्ट गार्ड एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 10 और कक्षा 12 को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं में प्रवेश हेतु रक्षा क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय विद्यालयों में अपने कार्मिकों के अधिकतम 06 बच्चों के नाम की सिफारिश कर सकते हैं । ये प्रवेश कक्षा की निर्धारित क्षमता से अधिक और केवीएस के प्रवेश दिशानिर्देशों के भाग ए पैरा 5 के अलावा और केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी आदेशों पर किए जाएंगे। (31 अगस्त तक)

2. सैन्य/अर्ध सैन्य बलों के कार्मिकों के बच्चों को प्रवेश :

केंद्रीय विद्यालय वाले स्टेशन पर सशस्त्र बल के कर्मियों के स्थानांतरण पर आने पर या सेवानिवृत्ति के बाद वहीं बसने की इच्छा रखने वाले या गैर-परिवार स्टेशन पर तैनाती या नक्सल प्रभावित क्षेत्र में तैनाती के कारण अपने परिवार को कहीं ऐसे अन्य रखना चाहते हैं जहां केंद्रीय विद्यालय हो, तो ऐसे अभिभावकों के बच्चों को

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संबद्ध रक्षा बलों(थल सेना, वायु सेना,जल सेना) एवंअर्ध सैनिक बल (के.रि.पु.ब., सी.सु.ब., भा.ति.सी.पु., स.सी.ब., के.औ.सु.ब., रा.सु.गा. एवं असम राइफल्स) द्वारा चलाए जा रहे शैक्षिक संस्थानों द्वारा जारी स्थानांतरण प्रमाण-पत्र के आधार पर स्वतः ही प्रवेश दे दिया जाए।

यह प्रावधान भारतीय कोस्टगार्ड द्वारा संचालित विद्यालयों के मामलों में भी लागू होंगे । ये प्रावधान इसरो/एईईएस(परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था) द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों में पढ रहे सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए भी लागू होंगे ।

यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त प्रावधान केवल रक्षा कार्मिकों/अर्धसैनिक बलों जैसे (के.रि.पु.ब., सी.सु.ब., भा.ति.सी.पु., स.सी.ब., के.औ.सु.ब., रा.सु.गा. एवं असम राइफल्स) के बच्चों अर्थात् पुत्र और पुत्रियों के लिए ही हैं । इसमें रक्षा कार्मिकों के पौत्र/पौत्रियाँ सम्मिलित नहीं होंगे । इसमें आयु और अंकों/ग्रेड के मापदंडों की पात्रता सहित केंद्रीय विद्यालय संगठन प्रवेश दिशा-निर्देश के प्रावधानों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जाएगा । बच्चे द्वारा केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश के माह से ही विद्यालय विकास निधि सहित सभी प्रकार के शुल्क का भुगतान किया जाएगा, चाहे उनके द्वारा अपने पिछले विद्यालय में उत्तरवर्ती महीनों के शुल्क का भुगतान किया जा चुका हो । रक्षा मंत्रालयों/विभागों/प्राधिकरणों द्वारा संचालित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों से जारी स्थानांतरण प्रमाण-पत्र को प्रवेश लेने वाले केंद्रीय विद्यालय के संबंधित क्षेत्रीय उपायुक्त द्वारा पृष्ठांकित करवाया जाए ।

3. ऐसे विद्यार्थी, जो पूर्व में केन्द्रीय विद्यालय में पढते थे :

ऐसे विद्यार्थी, जो पूर्व में केंद्रीय विद्यालय में पढते थे किन्तु उन्हें (क) माता-पिता का स्थानांतरण होने के कारण या (ख) माता-पिता के फील्ड एरिया में स्थानांतरण के कारण केंद्रीय विद्यालय के अलावा किसी अन्य विद्यालय में पढने को बाध्य होना पड़ा क्योंकि उस स्थान पर केंद्रीय विद्यालय उपलब्ध नहीं था और यदि संबंधित अभिभावक (Parent) का अगला स्थानांतरण ऐसे स्थान पर होता है जहां केंद्रीय विद्यालय है, तो ऐसे विद्यार्थियों को कक्षा की निर्धारित संख्या से ऊपर प्रवेश किया जाएगा । तथापि अभिभावक को इस आशय के प्रमाण उपलब्ध करवाने होंगे ।

भाग-ग

प्रवेश प्रक्रिया

1. प्रचार :

प्रवेश सूचना के अनुसार स्थानीय अखबारों में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कक्षा- I के प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीकरण का विज्ञापन जारी किया जाएगा और माता-पिता को केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए अपने पुत्री/पुत्र को पंजीकृत करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा । इस विज्ञापन में यह भी विशेष रूप से दर्शाया जाना चाहिए कि केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए ही सीमित नहीं है अपितु सभी के लिए खुला है, केवल प्रवेश को विनियमित करने के लिए कुछ प्राथमिकताएँ निर्धारित की गई हैं । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओ.बी.सी.(नान क्रीमी लेयर) और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों के लिए आरक्षण भी दर्शाया जाए।

2. पंजीकरण:

- (i) यदि किसी कक्षा में कोई रिक्त स्थान न हो या स्थान रिक्त होने की संभावना न हो तो उस कक्षा में प्रवेश के लिए पंजीकरण नहीं किया जाएगा । यदि भविष्य में रिक्ति उपलब्ध हो जाती है तो स्थानीय स्तर पर/ विद्यालय की वेबसाइट पर व्यापक प्रचार करके पंजीकरण किया जा सकता है तथा केंद्रीय विद्यालय संगठन के प्रवेश दिशा-निर्देश के अनुसार प्रवेश दिया जा सकता है।
- (ii) यदि प्रवेश के लिए इच्छुक बच्चों के पंजीकरण की संख्या कम हो और सभी सीटें भरी न जा सकी हों, तब प्राचार्य रिक्त सीटों की उपलब्धता को दर्शाते हुए दूसरा विज्ञापन मई/जून मास में जारी करेंगे ।
- (iii) विद्यालय की कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से ही विद्यालयों में प्रवेश किए जाने अपेक्षित है। यदि कार्यकारिणी समिति द्वारा कक्षा की पूर्ण संस्वीकृत संख्या तक प्रवेश अनुमोदित नहीं किए जाते तो प्राचार्य उसकी जानकारी उपायुक्त को देंगे जो प्रवेश दिशा-निर्देशों के अनुसार शेष सीटों के लिए प्रवेश की अनुमति प्रदान करेंगे ।
- (iv) कक्षा ग्यारहवीं के लिए पंजीकरण, दसवीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद किए जाएं और सीबीएसई बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणामों की

घोषणा होने के 20 दिनों के भीतर कक्षा की पूरी संख्या तक प्रवेश पूरे कर लिए जाने चाहिए। विद्यालय की कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदन न किए जाने के कारण यदि कक्षा क्षमता तक प्रवेश दिए जाने में कोई कठिनाई आती है तो ऐसी स्थिति में अन्य कक्षाओं के लिए निर्धारित ऊपर दी गई प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए उपायुक्त के अनुमोदन से कक्षा की संस्वीकृत संख्या तक प्रवेश कक्षा -दसवीं के परीक्षा परिणाम घोषित होने से 30 दिनों तक पूरे कर लिए जाएं।

- (v) प्राचार्य द्वारा पंजीकरण फॉर्म निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे । तथापि कक्षा-1 के लिए पंजीकरण ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल खुला रहने पर ऑनलाइन किए जाएंगे ।
- (vi) अन्य कक्षाओं के लिए सभी अपेक्षित दस्तावेजों के साथ पूरी तरह से भरा हुआ पंजीकरण फॉर्म केविसं की अधिसूचना के अनुसार निर्धारित तिथि के भीतर संबंधित विद्यालय कार्यालय में जमा करना/भेजा जाना आवश्यक है।
- (vii) पंजीकरण के लिए आवेदन फॉर्म के साथ निर्धारित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपियां भी संलग्न करना आवश्यक है।

3. प्रमाण-पत्र / दस्तावेज:

- कक्षा-1 में प्रवेश के लिए आयु के प्रमाण के लिए जन्म पंजीकरण के लिए प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र । इसमें अधिसूचित क्षेत्रीय परिषद/ नगर पालिका/ नगर निगम के प्रमाण-पत्र, ग्राम पंचायत, सैनिक अस्पताल और रक्षा कर्मियों के सेवा अभिलेखों के जन्मतिथि संबंधी उद्धरणों को लिया जाएगा। अन्य कक्षाओं के लिए राज्य शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा जारी स्थानांतरण प्रमाण-पत्र में अंकित जन्मतिथि मान्य होगी । जन्मतिथि के मूल-प्रमाण पत्र को सत्यापन के पश्चात अभिभावकों को लौटा दिया जाना चाहिए। कक्षा-8 तक प्रवेश बिना किसी अन्य विद्यालय के स्थानांतरण प्रमाण पत्र के भी दिए जा सकते हैं, बशर्ते बच्चा उस कक्षा में प्रवेश पाने योग्य हो और उसका जन्म प्रमाण-पत्र किसी सरकारी निकाय द्वारा जारी किया गया हो।
- माननीय सांसदों अथवा सार्वजनिक-क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के पौत्र / पौत्रियों के संबंध में उनके माता अथवा पिता के माननीय सांसदों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी के साथ संबंध होने के बारे में प्रमाण की आवश्यकता है।

- केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी (सेवारत/सेवानिवृत्त) के पौत्र/पौत्रियों के माता अथवा पिता का केविसं के कर्मचारी से संबंध होने का प्रमाण पत्र आवश्यक है ।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रिमीलेयर)/ बीपीएल इत्यादि के संबंध में जारी प्रमाण-पत्र संबंधित राज्य सरकार/संघ सरकार के संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए । यदि बच्चे का यह प्रमाण- पत्र उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में प्रवेश के प्रयोजन हेतु माता अथवा पिता के प्रमाण-पत्र को आरंभ में स्वीकार कर लिया जाए किंतु बच्चे से संबंधित प्रमाण-पत्र प्रवेश के 3 माह के अंदर जमा करना होगा
- दिव्यांग बच्चे के संबंध में भारत सरकार के O. M. No. 36035/5/88 / Estt. (sct) dated 4.5.1999 के अनुसार, सिविल सर्जन/पुनर्वास केंद्र अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जिसमें दिव्यांगता प्रमाणित की गई हो, उपलब्ध हो । उन मामलों में जहां बच्चे की दिव्यांगता प्राचार्य द्वारा स्वयं स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है उस स्थिति में बिना किसी प्रमाण-पत्र के दिव्यांगता प्राचार्य द्वारा समझी जाएगी । तथापि अभिभावक को सक्षम अधिकारी से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की सलाह देते हुए इसे बाद में जमा करने के लिए कहा जाए।
- पूर्वगामी 7 वर्षों के दौरान हुए स्थानांतरणों की संख्या को दर्शाने वाला एक सेवा प्रमाण-पत्र जिसमें कार्यालयाध्यक्ष द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मोहर सहित तथा उसमें कार्यालयाध्यक्ष का नाम, पदनाम और अन्य सुसंगत ब्यौरे स्पष्ट अक्षरों में लिखे गए हों ।
- वर्दीधारी रक्षा कार्मिकों के लिए **सेवानिवृत्ति** प्रमाण-पत्र ।
- निवास प्रमाण ।

टिप्पणी : -

- (i) पंजीकरण मात्र से ही प्रवेश का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- (ii) अपूर्ण रूप से भरे आवेदन फार्म सामान्यतः अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। रिक्तियों के शेष रहने के मामले में प्राचार्य, अपने विवेक पर बाद में भी प्रपत्र को पूरा करने की अनुमति दे सकते हैं।
- (iii) गलत प्रमाण-पत्र के आधार पर पाए गए प्रवेश को प्राचार्य द्वारा तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और प्राचार्य द्वारा की गई ऐसी कार्रवाई के विरुद्ध किसी भी अपीलपर विचार नहीं किया जाएगा।

- (iv) कक्षा-I में प्रवेश हेतु पंजीकरण ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा । दो पालियों वाले केंद्रीय विद्यालय में, प्रत्येक पाली को प्रवेश के उद्देश्य के लिए अलग विद्यालय के रूप में माना जाएगा । पाली बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी । यदि एक ही केंद्रीय विद्यालय में एक ही बच्चे के लिए कई पंजीकरण फॉर्म जमा किए जाते हैं, तो केवल अंतिम आवेदन प्रपत्र ही प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा ।
- (v) श्रेणी I,II,III और IV के प्रवेश के संबंध में अपनी सेवा के प्रमाण में अभिभावकों द्वारा जमा करवाए गए प्रमाण-पत्रों की सत्यता की जाँच प्राचार्य द्वारा निरपवाद रूप से कर ली जाए ।

4. कक्षा-1 के लिए प्रवेश पद्धति:

नए प्रवेश हेतु उपलब्ध सीटों में से 25% सीटें शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत आने वाले बच्चों के लिए (आगे 'आरटीई' के रूप में संदर्भित किया गया है), 15% अनुसूचित जाति, 7.5% अनुसूचित जनजाति और 27% सीटें "अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर)" (आगे इसे ओबीसी-नॉन क्रीमी लेयर के रूप में संदर्भित किया जाएगा) वर्ग के लिए आरक्षित होंगी ।

आरटीई अधिनियम के तहत विद्यार्थियों के प्रवेश के पश्चात दिव्यांग बच्चों के प्रवेश होंगे उसके बाद श्रेणी -1 से संबंधित बच्चों को लिया जाएगा । श्रेणी -1 के तहत प्रवेशित अभ्यर्थियों में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) भी शामिल होंगे । इसी प्रकार श्रेणी -1 के प्रवेश के बाद, श्रेणी-2 के प्रवेश लिए जाएंगे, जिसमें अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) (प्रोजेक्ट/आईएचएल स्कूलों के मामले में श्रेणी -3 तक के) अभ्यर्थी शामिल होंगे ।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) के लिए आरक्षित सीटों की संख्या में कोई कमी रहने संबंधी गणना आरटीई कोटे, प्राथमिकता श्रेणी -1 और श्रेणी -2 के अंतर्गत प्रवेश दिए गए अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) बच्चों की संख्या पर की जाएगी ।

प्रत्येक सेक्शन के लिए अनुमोदित विद्यार्थियों की संख्या 40 के अनुसार आरक्षण लागू होगा ।

आरटीई 25% : 10 सीटें

अनुसूचित जाति 15% : 06 सीटें

अनुसूचित जनजाति 7.5% : 03 सीटें
अन्य पिछड़ा वर्ग 27% : 11 सीटें

(दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 3% सीटें संस्तर पर आरक्षित होंगी)

पंजीकरण की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद प्रत्येक केंद्रीय विद्यालय द्वारा लॉटरी प्रक्रियाके संचालन का क्रम निम्नानुसार होगा :

- क. आरटीई लॉटरी
- ख. सभी दिव्यांग आवेदकों की लॉटरी
- ग. श्रेणी - I
- घ. श्रेणी - II
- च. अनुसूचित जाति
- छ. अनुसूचित जनजाति
- ज. अन्य पिछड़ा वर्ग
- झ. श्रेणी -III
- ट. श्रेणी-IV
- ठ. श्रेणी -V
- ड. श्रेणी -VI (यदि लागू हो)
- ढ. इकलौती कन्या संतान

शैक्षणिक सत्र 2020-21 और तत्पश्चात केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा -1 में नए प्रवेश के लिए निम्नलिखित अनुक्रम को अपनाया जाएगा :

- (I) **प्रथम चरण** : कक्षा-I के प्रत्येक सेक्शन में 10 सीटें (40 सीटों में से) आरटीई प्रावधान (25% सीटों) के अनुसार भरी जानी हैं और ये 10 सीटें निकटवर्ती/आस-पड़ोस में रहने वाले अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / ईडब्ल्यूएस/ बीपीएल/ अन्य पिछड़ा वर्ग -(नॉन-क्रिमीलेयर)/दिव्यांग इत्यादि सभी आवेदनों में से ड्रा द्वारा भरी जाएंगी ।
- (II) **द्वितीय चरण**: अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग - (नॉन-क्रिमीलेयर)/अनारक्षित वर्ग के दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए लॉटरी प्राथमिकता श्रेणी के अनुसार आयोजित की जाएगी ।
- (III) **तृतीय चरण**: आरटीई और दिव्यांग आवेदकों की सीटों की कटौती के बाद,शेष सीटें यदि कोई हो तो केवल संस्वीकृत सीटों तक मौजूदा प्राथमिकता श्रेणी के अनुसार श्रेणी -1 और श्रेणी -2 (परियोजना/उच्च शिक्षण संस्थान के मामले में श्रेणी -1 से श्रेणी -3 तक) की या श्रेणी -1 और श्रेणी -2(परियोजना/उच्च शिक्षण संस्थान के मामले में श्रेणी -1 से श्रेणी -3 तक) के पंजीकृत सभी उम्मीदवारों से ही भरी जाएंगी।

(IV) **चतुर्थ चरण:** - अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रिमीलेयर) की कुल संख्या की गणना तीसरे चरण तक प्रवेश दिए गए आरटीई, दिव्यांग,श्रेणी -1 और श्रेणी -2 (परियोजना/उच्च शिक्षण संस्थान के मामले में श्रेणी -1 से श्रेणी -3 तक) में से की जाएगी। इसके बाद अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रिमीलेयर) के लिए आरक्षित सीटों में, यदि कोई कमी रहती है, तो उसे अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रिमीलेयर) के आवेदकों के प्रवेश की प्राथमिकताओं के क्रमानुसार भरा जाएगा न कि संस्वीकृत संख्या के अनुसार।

(V)**पंचम चरण:** - उपर्युक्त सभी प्रक्रियाओं के बाद यदि स्वीकृत सीटें नहीं भरी जाती हैं और सीटें खाली हैं, तो केवल अनारक्षित सीटों के लिए प्राथमिकता श्रेणी -3 (परियोजना/उच्च शिक्षण संस्थान के वि में श्रेणी -4) और उससे आगे के आवेदकों को मौजूदा प्राथमिकता सूची के अनुसार प्रवेश लिया जाएगा। आरटीई / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रिमीलेयर) की रिक्त बची हुई आरक्षित सीटों को रिक्त रखा जाएगा।

(VI)**शेष रिक्त आरक्षित सीटों को भरना यदि पर्याप्त संख्या में ऑनलाइन पंजीकृत उम्मीदवार उपलब्ध न हों :** आरटीई / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रिक्त सीटों के कोटे को भरने के लिए संबंधित केन्द्रीय विद्यालय द्वारा प्रवेश-कार्यक्रम के अनुसार केवल आरक्षण कोटे की कमी को भरने के लिए उस विशेष श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के ऑफलाइन पंजीकरण के लिए एक अलग विज्ञापन दिया जाएगा। आरक्षण कोटे की कमी को पूरा करने के लिए इस प्रकार पंजीकृत ऑफलाइन उम्मीदवारों में से उनकी प्राथमिकता श्रेणी के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। उपर्युक्त सभी कार्रवाई के बाद भी यदि सीटें खाली रहती हैं, तो निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी :

(क) आरटीई के लिए आरक्षित सीटों को किसी भी मामले में अनारक्षित नहीं किया जाएगा।

(ख) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की रिक्त सीटों के मामले में: अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की रिक्त सीट उपलब्ध अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति श्रेणी के पंजीकृत उम्मीदवारों की उपलब्धता के अनुसार सीट को आपस में बदल कर भरा जाएगा अर्थात् अनुसूचित जाति की सीट अनुसूचित जनजाति से और अनुसूचित जनजाति की सीट अनुसूचित जाति से भरी जाएगी। ऐसा केवल तभी होगा यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कुल आरक्षित सीटों की कमी को एक साथ लिया गया हो। यह एकत्रीकरण प्रवेश दिए गए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के सभी उम्मीदवारों की गणना करके किया जाना है उदाहरण के लिए एक सेक्शन वाले केंद्रीय विद्यालय में कुल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सीटें 9 (6 एससी + 3 एसटी) हैं। अब मान लीजिए 8 अनुसूचित जाति और 1 अनुसूचित जनजाति पहले से ही भर्ती हैं और कोई भी अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार भर्ती के लिए उपलब्ध नहीं हैं

ऐसे में अनुसूचित जनजाति की इन 2 सीटों को अनुसूचित जाति को नहीं दिया जाएगा क्योंकि पहले से ही 9 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जा चुका है।

स्पष्टीकरण : अन्य पिछड़ा वर्ग वर्ग की सीटों को अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अथवा आरटीई श्रेणी के साथ परस्पर बदला नहीं जाएगा ।

(ग) अन्य पिछड़ा वर्ग की खाली सीट रहने के मामले में :

(i) **संस्वीकृत संख्या के अंतर्गत:** उपर्युक्तपैरा 4 (vi) में उल्लिखित प्रक्रिया से गुजरने के बाद भी अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमीलेयर) के लिए आरक्षित सीटें यदि खाली रहती हैं तो यह अनुमोदित कक्षा संख्या के अंतर्गत प्राथमिकता श्रेणियों से शेष प्रतीक्षा सूचीबद्ध योग्य उम्मीदवारों से भरी जाएगी ।

(ii) **संस्वीकृत संख्या के अतिरिक्त/अधिक :** कोई कार्रवाई नहीं की जानी है ।

(घ) वंचित समूह / कमजोर वर्ग / बीपीएल / अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमीलेयर) की परिभाषा / पात्रता संबंधी मानदंड/परिभाषा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार होगा (संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बीपीएल / ईडब्ल्यूएस के बारे में जारी नवीनतम अधिसूचना के अनुसार संबंधित उपायुक्त,केविसं, क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भी दिशानिर्देश जारी किए जाएं)।

(च) कक्षा-1 के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जाए ।

टिप्पणी-1 :

(क) सुविधा वंचित समूह की परिभाषा :

(1) सुविधा वंचित समूह के बच्चे का तात्पर्य उन बच्चों से है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग या अन्य समूह जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषिक, लैंगिक और अन्य कारकों के आधार पर सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी कर [आरटीई एक्ट के सेक्शन-2(घ)] सुविधा वंचित समूह में विनिर्दिष्ट किया गया हो ।

(2) विशेष जरूरतों और अशक्तता से संबंधित बच्चे का अभिप्राय ऐसे बच्चे से है जिसे आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत अथवासंबंधित राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में परिभाषित किया गया हो।

(ख) कमजोर वर्ग की परिभाषा:

• कमजोर वर्ग से संबंध रखने वाले बच्चे का अभिप्राय है जिनके माता-पिता अथवा अभिभावक (कोर्ट या विधान द्वारा घोषित) की वार्षिक आय वहां की सरकार द्वारा

अधिसूचना(सेक्शन-2ई) के द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम सीमा से कम है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की आय सीमा का निर्धारण संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में किए गए उल्लेख के अनुसार लागू होगा।

(ग) पड़ोस की परिभाषा और निवास का प्रमाण (केवल शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत प्रवेश हेतु लागू):यद्यपि केंद्रीय विद्यालय भिन्न-भिन्न जनसंख्या घनत्व वाले स्थानों में अवस्थित हैं, तथापि पड़ोस के क्षेत्र की सीमा के निर्धारण के लिए निम्न तरह से वर्गीकृत किया गया है :-

1	प्रमुख नगर और शहरी क्षेत्र(सभी जिला मुख्यालय एवं महानगरीय क्षेत्र)	5 किमी की परिधि
2	ऊपर क्रमांक 1 में सम्मिलित स्थान व क्षेत्र के अलावा	8 किमी की परिधि

टिप्पणी-2 :

1. सभी आवेदकों को अपने निवास का प्रमाण देना होगा।
2. अभिभावकों द्वारा दूरी संबंधी लिखित स्वघोषणा को इस आशय के लिए स्वीकार कर लिया जाए, कि वह सत्यापन के अधीन होगा।
5. कक्षा-1 में ऑनलाइन माध्यम से एवं अन्य कक्षाओं में ऑफलाइन माध्यम के द्वारा प्रवेश किए जाएंगे:

ऑफलाइन माध्यम के अंतर्गत प्रवेश हेतु ड्रों की पर्चियां निकालने के लिए समिति का गठन: प्रत्येक केंद्रीय विद्यालय में कक्षा-1 व अन्य कक्षाएं(ऑफलाइन माध्यम द्वारा ही),जहाँ उपलब्ध सीटों की संख्या के लिए किसी वर्ग विशेष या स्थानांतरणों की संख्या समान हो जाने पर उपलब्ध सीटों की संख्या को समायोजित न किया जा सके और ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर उन मामलों को निपटाने के लिए ड्रों के पर्यवेक्षण के लिए एक समिति का गठन किया जाए ।

समिति में निम्न 05 सदस्यों को शामिल किया जाएगा :

1.	प्राचार्य	संयोजक
2.	शिक्षक	सदस्य(प्राचार्य द्वारा नामांकित)
(3 व 4)	दो अभिभावक (एक महिला)	सदस्य(एक अभिभावक जिसके बच्चे का प्रवेश आरटीई अधिनियम 2009 के अनुच्छेद 12(1)(ग) के अंतर्गत किया जाना है ।)
5.	विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य	सदस्य(वि.प्र.स. के अध्यक्ष द्वारा नामांकित)

- प्राचार्य द्वारा कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों में से एक अतिरिक्त छात्रा सदस्य भी नामांकित किया जा सकता है जहाँ ये कक्षाएं उपलब्ध हैं ।
- अध्यक्ष,विद्यालय प्रबंधन समिति की सहमति से इस समिति का गठन करके इसकी अधिसूचना लॉटरी(ड्रा)के कम से कम 5 दिन पहले जारी कर दी जाए और उसे विद्यालय के सूचना-पट्ट पर भी प्रदर्शित किया जाए।

6. शुल्क एवं अन्य रियायतें :

- आरटीई अधिनियम 2009 के अंतर्गत जिन 25% बच्चों को प्रवेश दिया गया है उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- आरटीई अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्रवेश दिए गए 25% बच्चों को उनकी कक्षा संबंधी सामग्री जैसे एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें, नोटबुक, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म और परिवहन से संबंधित खर्च की प्रतिपूर्ति निर्धारित खर्च की सीमा तक मूल बिल पेश करने पर निधि(फंड) की उपलब्धता के अनुसार की जाएगी ।
- एक बार जब बच्चों को आरटीई अधिनियम 2009 के अंतर्गत कक्षा-1 में प्रवेश मिल जाता है उन्हें कक्षा-8 तक सभी रियायतें उसी केंद्रीय विद्यालय में और स्थानांतरण होने पर दूसरे केंद्रीय विद्यालय में भी मिलती रहेगी।
- अभिभावक का निवास प्रमाण पंजीकरण के समय पेश किया जाना चाहिए ।
- यदि किसी कर्मचारी को उसके विभाग द्वारा फीस की प्रतिपूर्ति का लाभ मिल रहा है तो वह आरटीई अधिनियम की रियायतों का दावा नहीं कर सकता है।

7. कक्षा-II से VIII में प्रवेश की पद्धति :

- a. कक्षा-II से कक्षा-VIII में प्रवेश के लिए कोई भी प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी तथा प्रवेश प्राथमिकता श्रेणी प्रणाली (1 से 5 या 6 मामले के अनुसार) के आधार पर दिए जाएंगे। यदि सीटों की संख्या से अधिक आवेदन हों तो प्रत्येक श्रेणी के कोटे को लॉटरी व्यवस्था से भरा जाए । कक्षा-VI और ऊपर की कक्षाओं के लिए यह प्रक्रिया इकलौती पुत्री संतान के लिए भी अपनाई जाए।

8. कक्षा-IX में प्रवेश की पद्धति :

कक्षा-IX में प्रवेश के लिए प्रवेश-परीक्षा आयोजित की जाएगी और प्राथमिकता की प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग मेरिट सूची तैयार की जाएगी ।

- i. प्रवेश परीक्षा हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान विषयों में आयोजित की जाएगी ।

- ii. प्रवेश परीक्षा के लिए केवल एक ही प्रश्न-पत्र होगा जिसकी समय अवधि 3 घंटे और अंक 100 होंगे जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान प्रत्येक विषय के लिए 20 अंक निर्धारित हैं ।
- iii. अभ्यर्थी को कुल योग के कम से कम 33% अंक प्राप्त करने होंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग (PH) विद्यार्थी कुल योग का 25% अंक प्राप्त करने पर प्रवेश के लिए पात्र होंगे ।

9. कक्षा XI में प्रवेश की पद्धति

के.वि. छात्रों के लिए: केंद्रीय विद्यालय से कक्षा 10 उत्तीर्ण करने पर केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 11 में विभिन्न वर्गों अर्थात् विज्ञान , वाणिज्य और मानविकी में प्रवेश कक्षा-10 में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर निम्न प्रकार से किया जाएगा :

- क) विज्ञान वर्ग :सभी विषयों के कुल अंको में से न्यूनतम 60% अंक
- ख) वाणिज्य वर्ग :सभी विषयों के कुल अंको में से न्यूनतम 55% अंक
- ग) मानविकी वर्ग : केंद्रीय विद्यालय के कक्षा दसवीं के उत्तीर्ण घोषित सभी छात्र

टिप्पणी :संबंधित केन्द्रीय विद्यालय एवं निकटवर्ती केन्द्रीय विद्यालय के सभी पात्र विद्यार्थियों के प्रवेश के पश्चात यदि कक्षा-11 में रिक्तियाँ रह जाती हैं तो गैर – केन्द्रीय विद्यालयी छात्रों को प्राथमिकता श्रेणियों के अनुक्रम में उपर्युक्त मापदंडों के आधार पर ही प्रवेश दिया जाए।

ऐसी परिस्थिति भी हो सकती है जहाँ उपर्युक्त मापदंड के आधार पर केन्द्रीयविद्यालयों से 10वीं कक्षा पास करने वाले एवं कक्षा 11वीं में प्रवेश के इच्छुक पात्र बच्चे स्ट्रीमों के लिए पर्याप्त संख्या में, विशेष तौर से हार्ड स्टेशन / दूरस्थ केन्द्रीय विद्यालयों में, उपलब्ध न हों तो ऐसी स्थिति में संबंधित केन्द्रीय विद्यालयों के प्राचार्य अपने क्षेत्रीय उपायुक्त को प्रवेश में पात्रता मापदंड को कम करने के लिए तत्संबंधी पंजीकरण विवरण, पात्र विद्यार्थियों की सूची के साथ प्रस्ताव भेज सकते हैं । क्षेत्रीय उपायुक्त अपने विवेक के आधार पर निम्न अनुसार विभिन्न स्ट्रीमों में पात्रता मापदंड कम कर सकते हैं:

के.वि. छात्रों के लिए: केंद्रीय विद्यालय से कक्षा 10 उत्तीर्ण करने पर केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 11 में विभिन्न वर्गों अर्थात् विज्ञान , वाणिज्य और मानविकी में प्रवेश कक्षा-10 में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर निम्न प्रकार से किया जाएगा :

- क) विज्ञान वर्ग :सभी विषयों के कुल अंको में से न्यूनतम 55% अंक

- ख) वाणिज्य वर्ग : सभी विषयों के कुल अंको में से न्यूनतम 50% अंक
ग) मानविकी वर्ग : केंद्रीय विद्यालय के कक्षा दसवीं के उत्तीर्ण घोषित सभी छात्र

टिप्पणी: संबंधित केन्द्रीय विद्यालय एवं निकटवर्ती केन्द्रीय विद्यालय के सभी पात्र विद्यार्थियों के प्रवेश के पश्चात यदि कक्षा-11 में रिक्तियाँ रह जाती हैं तो गैर - केन्द्रीय विद्यालयी विद्यार्थियों को प्राथमिकता श्रेणियों के अनुक्रम में उपर्युक्त मापदंडों के आधार पर ही प्रवेश दिया जाए।

मेरिट लिस्ट तैयार करते समय जो भी रियायतें लागू हों उनको शामिल किया जाएगा ।

क) अगर दो या दो से ज्यादा उम्मीदवारों ने सभी विषयों को मिलाकर एक समान/बराबर अंक प्रतिशत प्राप्त किए हैं तो ऐसे विद्यार्थियों की परस्पर योग्यता को निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगा :

- 1) जिस विद्यार्थी ने गणित में अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उसे प्रवेश में प्राथमिकता मिलेगी ।
- 2) अगर दो या दो से अधिक विद्यार्थियों के गणित में भी समान अंक हैं, तो गणित और विज्ञान के अंकों को मिलाकर अधिक अंक वाले को प्रवेश में प्राथमिकता मिलेगी ।
- 3) अगर दो या दो से अधिक विद्यार्थियों के गणित और विज्ञान अर्थात दोनों विषयों के अंक बराबर हैं, तो जो उम्मीदवार जन्म तिथि के अनुसार आयु में बड़ा है उसे प्रवेश में प्राथमिकता मिलेगी।

ख) प्राचार्य गैर-केवि बच्चों को केवल कक्षा क्षमता (40) तक ही ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश की अनुमति दे सकते हैं । केवि बच्चों के मामले में यह संख्या सामान्यतः 55 तक भी जा सकती है । यद्यपि केंद्रीय विद्यालय के पात्र 55 से अधिक विद्यार्थियों को समायोजित करने के लिए अतिरिक्त सेक्शन खोलने के लिए प्रयास किए जाएं ।

ग) एक विद्यार्थी, जो पहले किसी विशेष संकाय में प्रवेश के लिए पात्र नहीं पाया गया था, किन्तु यदि वह उसी बोर्ड से एक वर्ष के भीतर अपने प्रदर्शन में सुधार करता है तो उसे अगले शैक्षणिक सत्र में 11वीं कक्षा में उस संकाय में प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है ।

टिप्पणी : इंफोर्मेटिक प्रेक्टिसेस एक वैकल्पिक विषय के रूप में सभी स्ट्रीम में मिल सकता है और इसमें प्रवेश संयुक्त मेरिट सूची के अनुसार प्रदान किया जाएगा । कम्प्यूटर साइंस और बायो टेक्नोलोजी जहाँ भी ऐच्छिक विषय के रूप में उपलब्ध है, विज्ञान स्ट्रीम के विद्यार्थियों को मिल सकते हैं और इनमें प्रवेश संयुक्त मेरिट सूची के अनुसार दिए जाएँगे । मल्टीमीडिया और वेब - डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी विषय जहाँ

उपलब्ध हैं, वे विषय संयुक्त योग्यता सूची के अनुसार सभी संकायों में अर्थात् वाणिज्य, मानविकी व विज्ञान में दिए जा सकते हैं ।

कक्षा - 11 में प्रवेश के लिए निम्नलिखित रियायतें प्रदान की जाएँगी :

क) विभिन्न स्तरों पर खेलकूद / स्काउटिंग और गाइडिंग / एनसीसी / साहसिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए भी निम्नलिखित रियायतें उपलब्ध होंगी । इसके लिए प्रमाण - पत्र किसी भी पूर्ववर्ती वर्ष का हो सकता है ।

क्रमांक	खेलकूद	एनसीसी	स्काउट / गाइड	साहसिक क्रियाकलाप	प्रवेश हेतु अंको में छूट
क	एसजीएफआई अथवा समकक्ष स्तर पर सहभागिता	'ए' प्रमाण - पत्र और गणतंत्र दिवस/ प्रधानमंत्री रैली में प्रतिभागिता	राष्ट्रपति पुरस्कार प्रमाण - पत्र	शून्य	कुल अंकों में 6 % अंक
ख	केविसं / राष्ट्रीय /राज्य स्तर पर प्रतिभागिता	'ए' प्रमाण पत्र और जिला / राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ कैडेट	7 दक्षता बैजों सहित राज्य पुरस्कार	शून्य	कुल अंकों में 4 % अंक
ग	केविसं क्षेत्रीय / जिला स्तर पर प्रतिभागिता	'ए' प्रमाण - पत्र	5 दक्षता बैजों सहित तृतीय सोपान प्रमाण - पत्र	कम से कम किसी 10 दिवसीय साहसिक क्रियाकलाप में प्रतिभागिता	कुल अंकों में 2 % अंक

ख) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / दिव्यांग श्रेणियों से संबंधित विद्यार्थियों को कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए 4% अंकों का उच्च / अपग्रेड दिया जाएगा।

टिप्पणी: खेलकूद/एनसीसी / स्काउट / गाइड /साहसिक कार्यक्रमों के अंतर्गत अधिकतम छूट कुल अंकों में 6% अंक से अधिक नहीं होगी । उपर्युक्त (क) और (ख) के अंतर्गत विभिन्न वर्गों में एक से अधिक छूट की योग्यता की स्थिति में उम्मीदवार को अधिकतम लाभ की केवल एक छूट दी जाएगी । (यह लाभ गैर के.वि. विद्यार्थियों को भी नए प्रवेश के समय प्रदान किया जाए) ।

टिप्पणी : हिन्दी संस्करण में संदेह की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा ।